रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1481] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2019/वैशाख 10, 1941
No. 1481] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2019/VAISAKHA 10, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

का.आ. 1666(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 671(अ), तारीख 5 मार्च, 2014 और सं. का.आ. 2789(अ), तारीख 29 अक्तूबर, 2014 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 730 को उत्तर प्रदेश सरकार (इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंप दिया है;

अत:, अब, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 730 पर मौजूदा और साथ-साथ डिजाइन चैनेज किमी 454.000 से किमी 470.900 तक और किमी 474.000 से किमी 484.000 तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो-लेन खंड के उपयोग के लिए 26.90 किमी के निवल सड़क खंड लंबाई के लिए नीचे सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर 60% पर शुल्क उदगृहीत करती है और प्राधिकरण को, अपने अधिकारियों के द्वारा या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, नामत:

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
कार/जीप/वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस/ट्रक (दो धुरी)	2.20

तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत संग्रहीत और उद्गृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:-

सारणी-2

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई जिसके लिए फीस संदेय है (किमी में)**	**दर, जिस पर फीस संदेय है।**
उत्तर प्रदेश राज्य में महाराजगंज जिले में हड़वा गांव के निकट रारा-730 का डिजाइन चैनेज किमी 466.300 (मौजूदा चैनेज किमी 466.300)	कुल टोल योग्य लंबाई 26.9 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2018-19 के लिए 255.00 रु. (दो सौ पचपन रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

सारणी-3

संदेय धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. अपनी श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति टोल संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार लदे वाहन के प्रवेश के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 के नियम 10(1ए) के अनुसार प्रयोज्य फीस का भुगतान करने का जिम्मेवार होगा और वह राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि सहित कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और परियोजना राजमार्ग की लंबाई के पूरे भाग के आधार पर छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे कम से कम एक-एक समाचार पत्र में अंग्रेजी और देशी भाषा में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उत्कथित नियमों के नियम 5 के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित कराया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 145.84 करोड़ रू. है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. एनएच-12014/02/2015/यू.पी./जोन-1]

प्रियॉक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2019

S.O. 1666(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 671 (E) dated 5th March, 2014 and S.O. No.2789 (E) dated 29th October, 2014, issued under section-05 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway No. 730 in the State of Uttar Pradesh to the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Authority")

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 26.90 km. for use of the two lane with paved shoulders section from existing as well as design chainage Km. 454.000 to Km. 470.900 and from 474.000 to 484.000 on National Highway No.-730 in the State of Uttar Pradesh on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee namely:-

TABLE-1

Type of Vehicle	Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicle	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The Fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

TABLE-2

Location of Toll Plazas (Chainages)	Length for which Fee is payable (in Km.)	Rate at which the fee is payable
Design chainage Km. 466.300 (Existing chainage Km. 466.300) of NH-730 near village Hadawa in Distt. Mahrajganj in the State of Uttar Pradesh	Total Tollable length- 26.9 Km.	60% of the base rate mentioned in Table-1 above.

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 255.000 (Rupees Two Hundred Fifty Five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the Highway section, passes shall be issued at the following rates namely:-

TABLE-3

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial (excluding vehicles plying under National Highways permits) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no services road or alternate road is available or use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 145.84 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NH-12014/02/2015/UP/Zone-I]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.30 22:11:08 +05'30'